UPGK010050942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2231/2026

1. उर्मिला देवी बउम्र 50 वर्ष पत्नी राजन उर्फ राजेश जायसवाल
2. राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व0 श्रीप्रकाश गुप्ता
3. सत्यम जायसवाल उम्र 23 वर्ष
4. आयुष जायसवाल उम्र 20 वर्ष } पुत्रगण राजन उर्फ राजेश जायसवाल

स0–कोहरवलिया, थाना–कुबेरस्थान, जिला कुशीनगर।

..........**आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....................**विपक्षी**

मु०अ०सं०–373/2026
अंतर्गत धारा–318(4), 319(2), 316(5), 3(5),
3(6) बी0एन0एस0 व धारा– 66(डी) आई0टी0 एक्ट
थाना–गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 06.08.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **उर्मिला देवी, राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल, सत्यम जायसवाल व आयुष जायसवाल** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विश्वजीत श्रीवास्तव रियल स्टेट ज्वेलरी तथा शेयर मार्केट ब्रोकर का कार्य करता है। वर्ष 2023 में वादी की जान पहचान सोनू जायसवाल से हुई। सोनू जायसवाल उसके व्यापार से जुड़ गया और कम्पनी के फाउण्डर के पद पर कार्य करने लगा। इस दौरान सोनू जायसवाल ने उसे अपने रिश्तेदार शिवम् जयसवाल पुत्र राजेश जायसवाल निवासी कुबेर स्थान जनपद–कुशीनगर से मिलवाया और बताया कि शिवम् जायसवाल दिल्ली में कमीशन पर मार्केटिंग का अच्छा अनुभव होने के कारण बड़े पैमाने पर कार्य करता है। सोनू जायसवाल के कहने पर वादी अपने कम्पनी में एजेन्ट के रूप में कार्य करने लगा। शिवम जायसवाल और सोनू जायसवाल दोनों मिलकर उसकी कम्पनी VS TRVE OPC Technology Company व आस्था जेम्स एण्ड ज्वेलर्स व आस्था रिटेलर व वादी की अन्य कम्पनियों में लोगों का पैसा लगवा कर अपना कमीशन कम्पनी से ले लेता था। वादी की कम्पनी के एकाउन्ट का कार्य हरिकेश प्रसाद

निवासी तमकुहीराज के द्वारा देखा जाता है। शिवम् जायसवाल द्वारा सोनू जायसवाल को जो डिपाजिट स्लिप भेजा जाता था सोनू जायसवाल के माध्यम से कम्पनी के एकाउन्टेंट हरिकेश प्रसाद को भेजा जाता था। सोनू और शिवम् जायसवाल के माध्यम से भेजे गये स्क्रीनशाट जो लगभग 4,50,00,000/ (चार करोड़ पचास लाख रूपये) का था। प्रार्थी के एकाउन्टेंट हरिकेश प्रसाद को कुछ स्क्रीनशाट पर सन्देह हुआ तो सोनू जायसवाल द्वारा भेजे गये स्क्रीनशाट व खाते के मिलान करने पर लगभग सारे स्क्रीन शाट फर्जी व कूटरचित पाया गया जिन UTR No से 1,00,000/ (एक लाख रूपया) भेजना बताया गया उस UTR No से कम्पनी के बैंक खाते में मात्र एक रूपया धनराशि जमा होना पाया गया जिसको शिवम जायसवाल व सोनू जायसवाल मिलकर मोबाइल व लैपटाप का उपयोग कर 1 रूपये को फर्जी कूटरचित तरीके से 1,00,000/ (एक लाख रूपया) व 10,00,000/ (दस लाख रूपये) की रिसीट बनाकर कम्पनी को भेज देते थे और उसके एवज में अपने विभिन्न रिश्तेदारों जिनमें शिवम् जायसवाल की माँ उर्मिला देवी, उसके पिता राजेश जायसवाल व उसके दो भाई सत्यम् जायसवाल, आयुष जायसवाल के खाते में कमीशन का लाखों रूपया कम्पनी से डलवा देते थे। इन लोगों ने मिलकर उपरोक्त कार्य लगभग तीन महीना किये। 30 अप्रैल को वादी और उसके एकाउन्टेंट हरिकेश प्रसाद कम्पनी की Closing व Audit करवा रहे थे तभी इस घोटाले के बारे में पता चला, जिसमें सुदामा कुशवाहा ने दो करोड़ पचास लाख रूपये, राहुल कुमार ने दो करोड़ पचास लाख रूपये, का फर्जी Screenshot कम्पनी को दिया व विनोद प्रसाद ने एक करोड़ बयालिस लाख रूपये, अविनाश प्रसाद ने एक करोड़ पचहत्तर लाख रूपये, चंदन शर्मा ने दो करोड़ पचहत्तर लाख रूपये, राजेश शर्मा ने अस्सी लाख रूपये, धीरज कुमार ने दो करोड़ रूपये, जयप्रकाश कुशवाहा ने साठ लाख रूपये, उपेन्द्र यादव ने नब्बे लाख रुपये, विवेक कुमार ने बाईस लाख रूपये, संजू जायसवाल ने तीस लाख रूपये, सतेन्द्र मिश्रा व डॉ0 डीके शर्मा ने तीन करोड़ अस्सी लाख रुपये का फर्जी Screenshot कम्पनी को दिया जिसकी कुल राशि लगभग चौबीस करोड़ रूपये का कम्पनी के साथ घोटाला किया व नवीन श्रीवास्तव व प्रियंका श्रीवास्तव ने कम्पनी के निवेशकों से लगभग 82 लाख रूपये नगद अपने खाते में मंगा लिया और निजी उपयोग में इस्तेमाल कर लिया जिससे कम्पनी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। पहले उक्त सभी व्यक्तियों ने फर्जीबाड़े को स्वीकार नहीं कर रहे थे परन्तु कम्पनी ने जब कागजात दिखाया तो उक्त सभी व्यक्तियों ने अपनी गलती को मानते हुए पुलिस केस न करने का अनुरोध किया और कहा कि हम लोग कम्पनी का पैसा वापस कर देंगे परन्तु आज तक इन लोगों के द्वारा कूटरचित व फर्जी तरीके से कम्प्यूटर, लैपटाप के माध्यम से बनाये गये स्क्रीनशट जिसकी कुल राशि लगभग 24.00.00.000/ करोड रूपये) का कम्पनी का फर्जीवाड़ा कर इन लोगों ने कम्पनी के पैसा को सामान्य इरादे व आपराधिक ज्ञान से, कम्प्यूटर, लैपटाप व अन्य उपकरणों की सहायता से फर्जी गूगल–पे, फोन–पे का फर्जी स्क्रीनशट बनाकर कम्पनी के पैसे का अपने निजी कार्य में उपयोग कर लिया है। जिससे कम्पनी को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। वादी ने घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर जरिये रजिस्ट्री उपरोक्त घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभियुक्तगण मनबढ़ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित जुर्म संज्ञेय प्रकृति का है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किये हैं। प्रार्थीगण को साजिशन व फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। सूचनाकर्ता विश्वजीत श्रीवास्तव बिल्कुल मिथ्या, फर्जी व मनगढन्त कथनों के आधार

पर प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश दिनांक 02.02.2026 से प्रथम सूचना प्रतिवेदन थाना–गुलरिहा में दिनांक 06.05.2026 को पंजीकृत कराया है। सूचनाकर्ता रियल स्टेट, एवं आस्था जेम्स एण्ड ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड व VS TRUE TECHNOLOGY (UPC) PRIVATE LIMITED तथा अन्य छदम नाम से कम्पनियों का संचालन करता था तथा स्वयं को शेयर मार्केट का ब्रोकर एवं उक्त कम्पनियों का प्रबन्ध निदेशक बताते हुए आकर्षक एवं लुभावना स्कीम लान्च करता था, जिसमें धनराशि जमा करने पर 20 से 25 प्रतिशत रिटर्न देने व तीन साल में जमा धनराशि दो गुना करने का आश्वासन देता था। सूचनाकर्ता विश्वजीत श्रीवास्तव के उक्त कम्पनियों के अन्य निदेशक उसके रिश्तेदार व जान पहचान के व्यक्ति मिनाक्षी, चन्दा श्रीवास्तव व नवीन चन्द्र श्रीवास्तव आदि लोग थे। विश्वजीत श्रीवास्तव व उसके कम्पनी के अन्य निदेशक तथा उनके मेली मददगार सोनू जायसवाल एवं तथाकथित एकाउण्टेंट हरिकेश प्रसाद आम लोगों से कम्पनी का लुभावना स्कीम बताकर तथा शेयर बाजार में निवेश करके अधीकतम रिटर्न दिलाने हेतु मिटिंग करते थे एवं निवेशकों को प्रेरित करके मोटी धनराराशि निवेश करने हेतु नये लड़कों को बतौर कमीशन एजेन्ट काम करने के लिए नियुक्त करते थे। प्रार्थी राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल का लड़का सह अभियुक्त शिवम् जायसवाल कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रानिक से डिप्लोमा करके माह मार्च सन् 2023 से सी०एम०एस०आई०टी० सर्विस प्राईवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में काम कर रहा था। उक्त शिवम् जायसवाल ने सहअभियुक्त सोनू जायसवाल सूचनाकर्ता के कम्पनियों का स्कीम बतलाते हुए उसमें निवेश कराने हेतु लोगों को जोड़ने एवं निवेश करने के लिए सम्पर्क किया जिसके बदले में निवेश धनराशि पर 4 प्रतिशत कमीशन देने की बात कहा। सह अभियुक्त शिवम् जायसवाल दिल्ली में रहते हुए अपने जान पहचान व सम्पर्क के लोगों से कम्पनी का स्कीम बताते हुए लगभग 82,48,000/– रुपये सूचनाकर्ता के कम्पनी/फर्म में निवेश कराया। सूचनाकर्ता के कम्पनी/फर्म पर पूर्ण विश्वास करते हुए अधिक रिटर्न के लालच में प्रार्थी राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल द्वारा भी स्वंय लगभग 2500,000/– रुपये सूचनाकर्ता के कम्पनी/फर्म में निवेश किया गया। सूचनाकर्ता उत्तर प्रदेश व अगल–बगल के कई प्रान्तों में अपने कम्पनी/फर्मों की स्कीम को बताते हुए डेढ़ दो साल के अन्दर लगभग तीन सौ करोड़ से ऊपर की धनराशि निवेशकों से जमा करा लिया, लेकिन उसके द्वारा निवेशकों को निवेश धनराशि के सापेक्ष कोई लाभांस अथवा रिटर्न भुगतान नहीं किया जा रहा था तो निवेशकों के द्वारा कथित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गोरखपुर में इक्कठा होकर अपने द्वारा निवेश किये गये धनराशि की वापसी की मॉग की जाती रही तो वह लोगों को भुगतान हेतु आश्वासन देता रहा। सहअभियुक्त शिवम् जायसवाल के द्वारा जिन निवेशकों से सूचनाकर्ता के कम्पनी/फर्म में निवेश कराया गया था। उक्त निवेशकों द्वारा प्रार्थीगण के घर आकर अपने निवेश की धनराशि वापस करने हेतु दबाव बनाया गया तो, प्राथीगण व सहअभियुक्त शिवम् द्वारा भुगतान वापस करने हेतु सहअभियुक्त सोनू जायसवाल व सूचनाकर्ता पर दबाव बनाया गया जिसके क्रम में सहअभियुक्त शिवम् जायसवाल व प्रार्थीगण के बैंक खाते में विभिन्न तिथियों पर सूचनाकर्ता द्वारा निवेशकों के भुगतान के मद में मु0 7090000/– रुपये विभिन्न तिथियों पर अंतरित किया गया जिसका भुगतान प्रार्थीगण व सहअभियुक्त शिवम् जायसवाल द्वारा निवेशकों के खाते में कर दिया गया है। प्रार्थीगण राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल अपने स्वयं के निवेशित धनराशि व अन्य निवेशकों के बकाया धनराशि के भुगतान हेतु सूचनाकर्ता विश्वजीत श्रीवास्तव से मॉग की गई तो वह पेशबन्दी में प्राथीगगण के विरुद्ध कथित अभियोग फर्जी तरीके से पंजीकृत करा दिया है। प्रार्थीगण कभी सूचनाकर्ता के कम्पनी फर्म में बतौर

कमीशन एजेण्ट काम नहीं किये हैं, न तो प्रार्थीगण के खाता में कथित कम्पनी/फर्म द्वारा कोई कमीशन की धनराशि अन्तरित किया गया है। वास्तवीकता यह है कि प्रार्थी राजन गुप्ता उर्फ रोजेश जायसवाल कुबेर स्थान जनपद – कुशीनगर का प्रतिष्ठित व्यवसायी है। निवेशकों द्वारा उसके दरवाजे पर आकर धनराशि वापसी हेतु दबाव बनाते हुए धरना–प्रदर्शन किया गया तो वह सूचनाकर्ता एवं सह–अभियुक्त सोनू जायसवाल पर भुगतान हेतु दबाव बनाया गया। उक्त दोनों लोग सारी धनराशि एक बैंक खाता में भुगतान करने से इंकार कर दिये तो प्रार्थीगण का बैंक खाता में भुगतान प्राप्त करने हेतु विश्वजीत श्रीवास्तव को उपलब्ध कराया गया। जिसके आधार पर निवेशकों की आंशिक धनराशि भुगतान हेतु प्रार्थीगण के खाते में अन्तरित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई फर्जी व कुटरचित तरीके से स्क्रीनशाट धनराशि भुगतान के बावत अपने–अपने मोबाईल नम्बर से नहीं भेजा गया है। सूचनाकर्ता द्वारा कोई फर्जी व कूटरचित स्क्रीनशाट का मैसेज भेजने की बात बिल्कुल काल्पनिक व मनगढन्त है। यह कत्तई स्वभाविक नहीं है कि सूचनाकर्ता या उसका कथित एकाउण्टेन्ट हरिकेश प्रसाद अपने कम्पनी/फर्म के एकाउण्टेन्ट बैलेंस को बिना जाँच किये ही तीन महीने तक स्क्रीन शॉट पर खाते में धनराशि ट्रान्सफर होने के बावत विश्वास करते रहे। प्रार्थीगण के विरुद्ध कथित अपराध कारित करने का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। सूचनाकर्ता के विरुद्ध निवेशकों द्वारा विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उसी के पेशबन्दी में सूचनाकर्ता द्वारा निवेशकों को झांसा देने की मंशा से कथित अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी निवेशक द्वारा न्यासभंग का आरोप लगाते हुये कोई अभियोग किसी थाना में पंजीकृत नहीं कराया गया है न तो प्रार्थीगण द्वारा कोई न्यासभंग का कथित अपराध किया गया है। प्रार्थीगण कस्बा कुबेर स्थान जनपद–कुशीनगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी व कारोबारी हैं। कथित अभियोग पंजीकृत होने के आधार पर थाना गुलरिहा की पुलिस/विवेचक प्रार्थीगण को गिरफतार कर सकते हैं। अगर उपरोक्त कथित अपराध में प्रार्थीगण गिरफतार किये जाते हैं तो उनकी गरिमा व प्रतिष्ठा धूमिल होगी तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। कथित अपराध कारित किये जाने का कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है तथा किस निवेश की जमा धनराशि प्रार्थीगण के बैंक खाता में सहअभियुक्तगण सोनू जायसवाल व शिवम जायसवाल द्वारा अन्तरित किया गया है, उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न तो किसी थाने में कोई अभियोग पंजीकृत है न ही किसी न्यायालय में दोषसिद्ध का आदेश पारित किया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों (केस डायरी के पर्चा संख्या–01 से पर्चा संख्या–07 तक एवं प्रस्तरवार आख्या) का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसर में कंपनी के अभिकर्ता के रूप में कार्यरत रहते हुए छल द्वारा कंपनी के निवेशकों द्वारा दिये गये कंपनी के लगभग 24 करोड़ रूपये कंपनी का फर्जीवाडा कर कम्प्यूटर, लैपटाप व अन्य उपकरणों की सहायता से फर्जी गूगल पे, फोन पे का फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर उक्त पैसे को अपने निजी कार्य में उपयोग किया जाना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्त शिवम जायसवाल व सोनू जायसवाल द्वारा

मोबाईल व लैपटाप का उपयोग कर 1 रूपये को फर्जी व कूटरचित तरीके से 1,00,000/–रूपये व 10,00,000/–रूपये की रिसीट बनाकर कंपनी को भेजा जाना तथा उसके एवज में आवेदकगण/अभियुक्तगण के बैंक खातों में कमीशन का लाखों रूपया कंपनी से डलवाया जाना बताया गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जो दस वर्ष अथवा आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय है। अभियुक्त इस स्तर पर न्यायालय को यह समाधान कराने में असफल रहा है कि वह पूर्णतयाः निर्दोष है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा (2014)2 एस.सी.सी. 171** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि धारा–438 के अधीन न्यायालय के द्वारा शक्तियों का प्रयोग प्रकृति में असाधारण है। इसका प्रयोग केवल अपवादजनक मामलों में किया जाना है।

> *"जहां यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है अथवा जहां यह धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि किसी अपराध के अभियुक्त का अपनी अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की सम्भावना नहीं है।"*

इसी क्रम में **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2020 (1) सी.सी.एस.सी 2 (एस.सी)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत की स्वीकृति की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय थोड़ा सावधान रहे। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> *"अग्रिम जमानत केवल अपवादित मामले में ही प्रदान की जा सकती है, जहां आरोप आधारहीन हो। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग समुचित मामले में यदा–कदा किया जाना चाहिए।*

अतः उपरोक्त प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, मामले में अंतर्ग्रस्त धनराशि, अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत देने का समुचित आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **उर्मिला देवी, राजन गुप्ता उर्फ राजेश जायसवाल, सत्यम जायसवाल व आयुष जायसवाल** द्वारा द्वारा मु०अ०सं०– 373/2026, अंतर्गत धारा–318(4), 319(2), 316(5), 3(5), 3(6) बी०एन०एस० व धारा– 66(डी) आई०टी० एक्ट थाना–गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 06.08.2026

(प्रतीक्षा नागर)
JO Code – UP 2399
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 01,
गोरखपुर।

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.08.06 16:40:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court